कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी–सोनभद्र

पिन कोड–231221

E-Mail-eekcd3.pipri@gmail.com

पत्रांक : 196 /क0नि0ख0–3,पि0/ दिनांकः 11/03 /2026

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भः
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ.सी. /646 दिनांक–28.05.2020।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/03/2018/एफ.सी. /374 दिनांक–23.10.2025 **(संलग्नक–1)**।
3. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र के पत्रांक–2279/रेनुकूट/15–117/रेनुकूट दिनांक 31.12.2025 **(संलग्नक–2)**।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 23.10.2025 द्वारा वन भूमि के गैर वानकी प्रयोग हेतु विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक 23.10.2025 के शर्त संख्या–15 **"A catchment area treatment plan shall be implemented by /or under the supervision of state forest department at the project cost, if applicable"** भारत सरकार के उक्त आदेश अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकरी, वन प्रभाग रेनुकूट द्वारा **catchment area treatment plan** के लिए धनराशि रू0 6,86,65,184.00 मात्र ई–चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि **catchment area treatment plan** के लिए धनराशि रू0 6,86,65,184.00 मात्र उ0प्र0 कैम्पा शीर्षक में जमा करने हेतु ई–चालान उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

11.03.2026

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः /क0नि0ख0–3,पि0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना (विन्ध्याचल), मीरजापुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल, पिपरी–सोनभद्र।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग रेनुकूट, सोनभद्र।

(विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक-1

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rmoe.lko-mef@nic.in

दिनांक : As per E-signed

पत्र सं० : 8बी/यूपी0/06/03/2024/एफसी/374

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय: जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेणुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3936/11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, दिनांक 02.09.2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 149/14-2-2018-800(148)/2017, दिनांक 19.09.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2020 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रस्तुत अनुपालना के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेणुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 127.1637 ha. non forest land (Renukoot 103.675 ha., Obra 23.4887 ha.) in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village- Bhisur, Kotachi, Kudari, Tehsil- Not provided, District- Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.
5. User agency shall restrict the felling of trees to 21210 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
6. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.
9. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Scanned with OKEN Scanner

11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12. The period of diversion under this approval shall be for 25 years or co-terminus with the period of the project life, whichever is earlier.
13. The State Government shall ensure necessary action subsequent to any change in forest area/forest boundary after completion of digitization.
14. DFO shall ensure that the area proposed for diversion is as per the existing Working Plan and no other affected forest area is left to be included in the proposal.
15. A Catchment Area Treatment Plan shall be implemented by/or under the supervision of State Forest Department at the project cost, if applicable.
16. The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
17. The user agency shall provide free water for the forestry related projects.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
21. Annual 3rd party monitoring and concurrent internal monitoring by State Forest Department shall be done and monitoring reports submitted to this office.
22. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
23. Project Completion Report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.
24. Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as per para 1.16 of consolidated guideline and clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC.
25. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
26. This approval is subject to the final outcome with respect to Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No 1164/2023 dated 3.2.2025 and 4.3.2025.

भवदीय,

Digitally signed by
Raja Ram Singh
Date: 23-10-2025
14:24:17

(राजा राम सिंह)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

<u>प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-</u>

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, फ्लोर संख्या-1, चतुर्थ तल, ब्लॉक संख्या 3, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
4. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
6. अधिशासी अभियंता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(राजा राम सिंह)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

Scanned with OKEN Scanner

डायरी सं .... 2890 ....
दिनांक 05/01/2026
सम्बन्धित सहायक D/Man
अधिशासी अभियन्ता-3 पिपरी-सोनभद्र

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2279 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,दिसम्बर,31, ,2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय
पिपरी –सोनभद्र।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./646 दिनांक–28.05.2020

2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./730 दिनांक–10.07.2020

3– भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय . क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./03/03/2024/एफ.सी./374 दिनांक–23.10.2025

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 28.05.2020 एवं संशोधित पत्र दिनांक–10.07.2020 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश तथा पत्र दिनांक–23.10.2025 द्वारा विधिवत स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक–23.10.2025 के शर्त संख्या 15 में निम्न प्रकार उल्लिखित है:–

A Catchment Area Treatment Plan shall be implemented by/or under the supervision of State Forest Department at the project cost, if applicable.

D/man

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक–23.10.2025 में अधिरोपित शर्त संख्या 15 के अनुपालन हेतु Catchment Area Treatment Plan में उल्लिखित निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित धनराशि ई पार्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा में जमा कराते हुये चालान की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sr. No.	Iteam	Rate(Rs.)	Unit	Target	
				Physical	Financial (Rs.)
I	**BIOLOGICAL MEASURES**				
2	Enrichment (including maintenance for 10 years.)	100000	Per Ha	60	6000000.00
3	Nursery Development	LS			2500000.00
4	Maintanance of Nursery	LS			1250000.00
5	Vegetative Fencing	LS			1000000.00
6	Watch & Word for 10 year	201	Per man/day	20	12220800.00
				Sub Total I (2+3+4+5+6)	**22970800.00**
II	**ENGINEERING MEASURES**				
7	Water Pond	750000	Per pond	80	6000000.00
8	Check Dam	250000	Per dam	77	19250000.00

9	Counter Trenching	40000	Per ha	30	1200000.00
				Sub Total II (7+8+9)	26450000.00
A	Treatment Cost (Sub Total I+II)				49420800.00
III	Administrative Measures				
10	Government Expenditure 5% of Treatment cost (Including O&M)				2471040.00
11	Establishment cost 8% of Treatment cost				3953664.00
12	Provision of forestry research in the area @5% Treatment cost				2471040.00
13	Provision of monitoring & evaluation@5% Treatment cost				2471040.00
14	Provision of forest protection measures	L.S.			1000000.00
15	Provision for eco-service to local communities@5% of Treatment cost				2471040.00
16	Provision for training of forest staff and sensitization of local communities@2.5% of Treatment cost				1235520.00
17	Provision for energy saving device				700000.00
18	Contingency Fund @5% of Treatment cost	L.S.			2471040.00
				Sub Total III	19244384.00
B					
					68665184.00
	Total CAT Plan cost (A+B)				
	रू0 6,86,65,184/— (छः करोड़ छियासी लाख पैंसठ हजार एक सौ चौरासी मात्र)				

भवदीय

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या— अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।

2—मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

3— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

4—अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड—प्रथम पिपरी—सोनभद्र ।

(कमल कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड—तृतीय
पिपरी—सोनभद्र

पत्रांक— 120 /क0 नि0 खण्ड-3 / वनभूमि / दिनांक— 06/02/026

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय क0 नि0 खण्ड-3 पिपरी को इस आशय के साथ प्रेषित है कि भुगतान की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

06/02/2026
अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड—तृतीय
पिपरी—सोनभद्र